प्रसारण क्षेत्र हेतु स्व-विनियमन दिशानिर्देश

(प्रारूप 2008)

विषय-वस्तु

क. प्रस्तावना

ख. सिद्धांत

ग. स्व-विनियमन प्रणाली

घ. शिकायत-समाधान प्रक्रिया

परिशिष्ट 1 : प्रमाणन नियमावली

परिशिष्ट 2 : नियमों एवं कोड़ की सूची (चयन)

क. प्रस्तावना

1. सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जा रही विषय-वस्तु को स्वीकार्य समसामयिक समुदाय मानकों के समरूप सुनिश्चित करने तथा टीवी पर हानिकारक एवं अवांछनीय विषय-वस्तु से असुरक्षित वर्गों को बचाने के लिए विषय-वस्तु को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. ये स्व-विनियमन दिशानिर्देश (गाईडलाइंस) उन सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और नैतिक परम्पराओं का निर्धारण करते हैं, जो प्रसारण सेवा प्रदाताओं को भारत में अपनी कार्यक्रम सेवाओं को प्रदान करने में दिशानिर्देशित करेंगे ताकि इन्हें कार्यक्रम के प्रसारण हेतु प्रयोग किए गए किसी भी माध्यम/मंच के बावजूद केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित प्रमाणन नियमों के समरूप सुनिश्चित किया जा सके।

3. इन दिशानिर्देशों को मसौदा विनियामक प्राधिकरणों या प्रसारण सेवा प्रदाताओं द्वारा लिए जाने वाले पक्षपातपूर्ण निर्णयों के दायरे को कम करने तथा प्रसारण उद्योग को स्व-विनियमन की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत ज्यादा विनिर्दिष्टता एवं विवरण को शुरू करने के लिए तैयार किया गया है। इन दिशानिर्देशों के पीछे मूलभूत सिद्धांत यह है कि प्रमाणन नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की जिम्मेवारी प्रसारण सेवा प्रदाता में ही निहित है।

4. इन दिशानिर्देशों के सिद्धांतों को शुरूआत में बीएसपी की स्व-विनियमित प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। दूरसंचार उद्योग में मौजूद 'सहनशीलता' द्वारा विनियमन प्रणाली भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण को इन दिशानिर्देशों की बीएसपी द्वारा अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए दिशानिर्देशित करेगी। ऐसी स्व-विनियामक प्रणाली एक विश्वसनीय और समय-बद्ध चूक/शिकायत समाधान प्रणाली के अध्यधीन होगी जो भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण के मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगी।

5. ब्राई (बीआरएआई) इन दिशानिर्देशों की व्याख्या करने में सामान्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तथापि, ऐसी कोई सलाह इस प्रबल अवधारणा के आधार पर दी जाती है कि इससे प्रसारण/ट्रांसमीशन के बाद के मामलों एवं शिकायतों का निर्णय करते समय इसके विवेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इससे इसकी

विनियामक जिम्मेवारियों की कार्रवाई प्रभावित नहीं हो। बीएसपी को उभरकर आने वाले किसी भी अनुपालना मुद्दे पर अपनी स्वयं की कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

6. चूंकि ये दिशानिर्देश स्व-विनियमन पर आधारित हैं, इसलिए ये ऐसे पहलुओं का निर्धारण करते हैं जिनके बारे में बीएसपी को किसी कार्यक्रम की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए।

7. ये दिशानिर्देश उभरकर आने वाले प्रत्येक मामले के समाधान का कार्य नहीं करते हैं। बीएसपी के सामने कई अलग परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं जिनका विशेष तौर पर इनमें उल्लेख नहीं किया गया है। नीचे दिए गए भागों में रेखांकित किए गए सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इन दिशानिर्देशों को सेवा प्रदाताओं द्वारा आवश्यक निर्णय लेने में सहायता करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है।

8. बीएसपी को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रमाणन नियमों की अनुपालना करनी होगी, जो ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट 1940, द एमबलेम एंड नेम्स (अनुचित प्रयोग की मनाही) एक्ट, 1950, द ड्रग्स (नियंत्रण) एक्ट, 1950, द ड्रग्स एंड मैजिक रिमिडिज (अनुचित प्रयोग की मनाही) एक्ट, 1954, द प्रिवेन्शन ऑफ फूड एंड एडल्टिरेशन एक्ट, 1954, द प्राइज कम्पीटिशन एक्ट, 1995, द इन्डिसेन्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रतिबंध) एक्ट, 1986, द ट्रेड एंड मर्केन्डाइज एक्ट, 1999, द कापीराइट एक्ट, 1957, द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 ....., द सिगरेट एंड अदर टोबको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003, द सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 तथा अन्य ऐसी मौजूदा या नई सांविधियों एवं फिल्मों के प्रदर्शन या कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में समय-समय पर उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों को कम करके नहीं अपितु इनके अतिरिक्त होंगे।

<u>ख. सिद्धांत</u>

9. इन दिशानिर्देशों का आशय बीएसपी का मार्गदर्शन करना है तथा ये सहनशीलता के इन सिद्धांतों पर आधारित है कि सभी कार्यक्रम भ्रामक नहीं होने चाहिए, इनसे

कोई अपराध नहीं होना चाहिए, या विशेष तौर पर असुरक्षित वर्गों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

10. इन दिशानिर्देशों के उद्देश्यार्थ, प्रसारण सेवाओं के संबंध में "कार्यक्रम" का अर्थ है कोई टेलीविजन या रेडियो प्रसारण तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- कोई प्रदर्शन या फिल्मों, फीचर्स, नाटकों, समाचारों, विज्ञापनों, प्रोमोज, ट्रेलर्स, गीतों, संगीत वीडियो एवं वीडियो/आडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो/आडियो प्लेयर के माध्यम से सीरियलों का प्रसारण;
- कोई आडियो या दृश्य या आडियो-विजुअल सजीव प्रदर्शन या प्रस्तुतीकरण तथा इनके लिए "कार्यक्रम सेवा" अभिव्यक्ति का तदनुसार आशय होगा परंतु इसमें ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होगी जो पूर्ण रूप से निजी संचार या किसी निजी संचार से संबंधित है।

11. इस भाग को प्रमाणन नियमों के साथ जोड़कर पढ़ा जाए। इन दिशानिर्देशों के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं :-

क. कार्यक्रमों को हमेशा संभावित श्रोतागणों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। श्रोताओं को किसी उद्वेग या कष्ट से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी एवं संवेदना का ध्यान रखा जाना चाहिए।

ख. प्रत्येक बीएसपी प्रसंग, विषय-वस्तु प्रबंध, भाषा एवं आडियो-विजुअल प्रस्तुतीकरण के आधार पर अपने कार्यक्रमों का वर्गीकरण करेगा तथा उन्हें तदनुसार व्यवस्थित करेगा। बीएसपी इस बात को सुनिश्चित करेगा सभी प्रसारण कार्यक्रम प्रमाणन नियमों के अनुसार निर्धारण क्रम में हैं।

ग. बीएसपी को नाबालिगों को संरक्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। बीएसपी को इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए सचेत होना पड़ेगा कि टेलीविजन पर दिखाया जा रहा कार्यक्रम किस प्रकार से नाबालिगों के विकास पर प्रभव डाल सकता है। नाबालिगों में व्यापक आयु समूह तथा व्यस्कता के कई स्तर शामिल होते हैं। इसलिए बीएसपी के लिए यह आवश्यक है कि वह सामग्री का प्रबंध तथा विवरण तैयार करते समय विभिन्न आयु वर्गों के नाबालिगों की क्षमताओं पर विचार करे ताकि कोई ऐसी सामग्री प्रसारित न हो जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है।

घ. टेलीविजन दर्शकों के रूप में नाबालिगों में संध्या के समय तथा रात्रि को समानुपात रूप से सतत् रूप से कमी आती है। नाबालिगों के लिए

अनुपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण पर लगी रोक में शाम 8 बजे के बाद क्रमबद्ध रूप में ढ़ील दी जा सकती है। इसके पीछे यह अवधारणा है कि शाम 8 बजे के बाद माता-पिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की जिम्मेवारी लें कि उनके बच्चों को टेलीविजन पर क्या देखने की अनुमति दी जाए।

ड. सामान्य तौर पर, प्रमाणन नियम सभी प्रकार के बीएसपी पर समान रूप से लागू होंगे। तथापि, समाचार एवं समसामयिक मामलों (एन एंड सीए) के लिए बीएसपी से विषय-वस्तु को संपादित करने की अपेक्षा की जाती है तथा यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रमाणन मानदंडों के अनुसार अनुपयुक्त समझे जाने वाले समाचारों के किसी अंश एवं समसामयिक मामलों का अपने दिन-भर के समाचारों में प्रसारण निर्धारित करने से पहले उन पर विशेष चेतावनी जारी करेंगे तथा उन्हें उपयुक्त रूप से ढ़क कर रखेगें।

च. टेलीविजन समाचारों का किसी अन्य मीडिया की तुलना में ज्यादा प्रभाव तथा पहुंच होती है। यह दूरदर्शी तथा गैर-दूरदर्शी दर्शकों दोनों के लिए ही तुरंत लाखों घरों में उपलब्ध हो जाता है। चौबीस घंटों चलने वाले समाचार चैनलों की लगातार बढ़ती हुई संख्या तथा दर्शकों को अपनी और खींचने के लिए गहन प्रतिस्पर्धा एवं टेलीविजन के समाचारों एवं समाचार तथा समसामयिक मामलों में शामिल किए जाने वाले तथ्यों की बदलती हुई प्राथमिकताओं के दृष्टिगत विशिष्ट दिशानिर्देशों के साथ कुछ अनुशासन की आवश्यकता महसूस की गई है। हमें इस बात के लिए भी जागरूक होना होगा कि टेलीविजन के समाचारों एवं समसामयिक मामलों की विषय-वस्तु के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान या अन्याय को बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए समाचार कार्यक्रमों के लिए अलग से तथा पारदर्शी दिशानिर्देशों का होना आवश्यक है, जिनका सभी द्वारा सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए।

ग. <u>स्व-विनियमन प्रणाली</u>

12. इस भाग में विषय-वस्तु के स्व-विनियमन का निर्धारण किया गया है। स्व-विनियमन दो स्तरों पर होगा : बीएसपी स्तर पर तथा उद्योग स्तर पर। इनका विवरण नीचे दिया गया है :-

स्व-विनियमन का प्रथम स्तर - बीएसपी स्तर पर

i. प्रत्येक बीएसपी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, केन्द्र सरकार या ब्राई द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों एवं सभी प्रासंगिक स्पष्टीकरणों, दिशानिर्देशों एवं व्याख्याओं, मानकों एवं मानदंडों के तहत निर्धारित किए गए प्रमाणन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करे।

ii. प्रत्येक बीएसपी के पास प्रमाणन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रणाली होनी चाहिए जिसके लिए वह अपेक्षित योग्यता एवं अनुभव वाले एक या एक से अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। इस विनियम के प्रयोजनार्थ बीएसपी के अध्यक्ष (मानक एवं प्रथाएं) को भी विषय-वस्तु लेखा परीक्षक माना जा सकता है। प्रत्येक बीएसपी को सार्वजनिक सूचना हेतु विषय-वस्तु लेखा परीक्षकों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना होगा। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं ब्राई को भी अधिसूचित की जाएगी जो इसे अपनी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाएगें। विषय-वस्तु के उल्लंघन के संबंध में जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों या किसी फीडबैक हेतु इस व्यक्ति से सम्पर्क किया जा सकेगा।

iii. प्रमाणन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्यार्थ, प्रत्येक बीएसपी अपने स्वयं के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को विकसित कर सकता है। तथापि, प्रत्येक बीएसपी को प्रत्येक कार्यक्रम/विज्ञापन के संबंध में प्रमाणन नियमों के अनुसार उपयुक्त वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए अपने विषय-वस्तु लेखा परीक्षक से परामर्श करना होगा। बीएसपी विषय-वस्तु पर प्रभाव रखने वाली विभिन्न सांविधियों एवं विनियमों के तहत सभी प्रासंगिक कानूनी एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की अनुपालना के संबंध में अपने आपको संतुष्ट करने के लिए विषय-वस्तु के खिलाफ मिलने वाली सभी जन शिकायतों को विषय-वस्तु लेखा परीक्षकों को भी भेजेगा।

iv. बीएसपी में चैनल का प्रधान संपादक, चाहे उसे किसी भी पदनाम से जाना जाए, विषय-वस्तु लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को स्वीकार करने या आशोधित करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने तथा कार्यक्रम का निर्धारण करने एवं प्रसारण करने के लिए जिम्मेवार होगा। चैनल का प्रधान सम्पादक स्व-विनियमन के लिए अंतिम रूप से जिम्मेवार होगा तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम सतत् रूप से प्रमाणन नियमों के अनुसार है एवं वह चैनल पर

प्रसारित की जाने वाली विषय-वस्तु के संबंध में विभिन्न सांविधियों के अंतर्गत सभी कानूनी एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगा।

v. कोई भी बीएसपी ऐसे सजीव/आपसी विचार-विमर्श वाले कार्यक्रमों/विज्ञापनों का प्रसारण कर सकता है जिनमें आम जनता या आमंत्रित मेहमान भाग ले सकते हैं, जिनके हाव-भावों या कही जाने वाली बातों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है तथा वे प्रमाणन नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में, बीएसपी के प्रधान संपादक को इस बात के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि भाग लेने वालों को प्रमाणन मानदंडों के संबंध में संक्षिप्त रूप से पर्याप्त जानकारी दी गई है तथा उन्हें यह भी बताया गया है कि मेहमान/भाग लेने वालों द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए उन्हें बीएसपी को क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि कार्यक्रम का एंकर कार्यक्रम का समापन विचार-विमर्श पर एक संतुलित विचार व्यक्त करते हुए तथा यह कहते हुए करता है कि भाग लेने वालों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके स्वयं के थे, तो इसे प्रमाणन नियमों की पर्याप्त अनुपालना माना जाएगा।

विषय-वस्तु लेखा परीक्षक के कर्त्तव्य

(i) विषय-वस्तु लेखा परीक्षक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि बीएसपी द्वारा प्रमाणन नियमों की अनुपालना की जाती है।

(ii) विषय-वस्तु लेखा परीक्षक वह व्यक्ति होगा जिससे बीएसपी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों या विज्ञापन के संबंध में किसी मुद्दे या शिकायत की स्थिति में सम्पर्क किया जाएगा।

(iii) विषय-वस्तु लेखा परीक्षक सभी कार्यक्रमों की जांच करने तथा प्रत्येक कार्यक्रम/विज्ञापन के संबंध में प्रमाणन नियमों के अनुसार उपयुक्त वर्गीकरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(iv) विषय-वस्तु लेखा परीक्षक विषय-वस्तु के खिलाफ प्राप्त होने वाली सार्वजनिक शिकायतों की जांच करेगा तथा विषय-वस्तु पर प्रभाव रखने वाली विभिन्न सांविधियों एवं नियमों के तहत सभी प्रासंगिक कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताओं की अनुपालना के संबंध में बीएसपी की संतुष्टि के लिए उसका मार्गदर्शन करेगा।

(v) विषय-वस्तु लेखा परीक्षक प्रमाणन नियम या अन्य सांविधियों के किसी भी उल्लंघन, जिसे ठीक किया जाना आवश्यक है, को बीएसपी के प्रधान संपादक,

चाहे उसे किसी भी पदनाम से जाना जाए, के ध्यान में लाएगा। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय लेना प्रधान संपादक की जिम्मेवारी होगी।

(vi) विषय-वस्तु लेखा परीक्षक को प्रमाणन नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा तथा इसके लिए बीएसपी का प्रधान संपादक जिम्मेवार होगा जिसे किसी भी अनुपालना न किए जाने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा।

स्व-विनियमन प्रणाली का दूसरा स्तर - उद्योग स्तर

13. इस उद्योग को एक स्व-विनियमन प्रणाली प्रदान करने तथा प्रमाणन नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ दर्शकों एवं श्रोताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रणाली प्रदान करने हेतु, केन्द्र सरकार या ब्राई उद्योग खण्ड स्तर के एक संगठन को अपनी प्रसारण उपभोक्ता शिकायत समिति (बीसीसीसी) का गठन करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। ऐसी बीसीसीसी में प्रासंगिक उद्योग खण्ड, उपभोक्ताओं या अन्य सिविल सोसायटी संगठन के पर्याप्त प्रतिनिधि एवं कानूनी या विनियामक अनुभव वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों सहित व्यावसायिक विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो सार्वजनिक शिकायतों या अपीलों पर निर्णय करेगी। ऐसी बीसीसीसी की स्थापना निम्नलिखित क्षेत्रों की विषय-वस्तु के संबंध में प्रत्येक में एक की जा सकती है :-

क) फिल्मों का प्रसारण : सिनेमैटोग्राफी अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा अग्रिम तौर पर देखा जाएगा तथा प्रमाणित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सामान्यत: फिल्म क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है। सीबीएफसी सिनेमैटोग्राफी अधिनियम के तहत प्रमाणन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक फिल्म को दर्शकों के विभिन्न वर्गों द्वारा देखे जाने के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित करता है। सीबीएफसी द्वारा अग्रिम तौर पर देखे जाने तथा प्रमाणन की वर्तमान प्रक्रिया का अनुसरण फिल्मों/ट्रेलर/प्रोमोज इत्यादि को टेलीविजन या रेडियो पर प्रसारित करते समय भी किया जाएगा। इसलिए बीएसपी पदधारियों को भी फिल्मों/ट्रेलर/प्रोमोज इत्यादि के प्रसारण के मामले में पूर्व प्रमाणन प्रक्रिया की अनुपालना करनी होगी।

ख) विज्ञापनों का प्रसारण : भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का पहले ही एक स्व-विनियामक निकाय है जिसे उपभोक्ता शिकायत समिति के नाम से जाना जाता है। एएससीआई ने सभी विज्ञापनदाताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विज्ञापन

कोड तैयार किए हैं, जिनको सभी प्रसारणकर्ताओं/केबल संचालाकों इत्यादि ने अनुपालना करने के लिए मान्यता दी है। यह बीएसपी की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने विषय-वस्तु लेखा परीक्षक को प्रत्येक विज्ञापन को अग्रिम तौर पर देखने के लिए कहे ताकि इस बात को प्रमाणित किया जा सके कि इसकी विषय-वस्तु एएससीआई के अनुरूप है।

ग) कार्यक्रमों का प्रसारण : केन्द्र सरकार एएससीआई की उपभोक्ता शिकायत समिति की तर्ज पर विषय-वस्तु को अग्रिम तौर पर देखने के लिए यदि आवश्यक हो, अपनी स्वयं की संबंधित प्रणाली का विकास करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जन शिकायतों का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित उद्योग-स्तरीय प्रतिनिधि निकायों को उपभोक्ता शिकायत समितियों की स्थापना करने के लिए नामित करती है।

i. भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) : उन टेलीविजन चैनल संचालकों के लिए जो अपने चैनलों का प्रसारण केबल एवं सैटेलाइट/डीटीएच/मोबाइल फोन इत्यादि नेटवर्कों पर करते हैं।
ii. समाचार प्रसारण संघ (एनबीए) : समाचार एवं समसामयिक मामलों के प्रसार हेतु।
iii. बहु-सेवा संचालक एलाइंस (एमएसओ एलाइंस) : बहु-सेवा संचालकों हेतु।
iv. भारतीय केबल संचालक संघ (सीओएफआई) : उन स्थानीय केबल संचालकों के लिए जो अपनी स्वयं की विषय-वस्तु तैयार कर सकते हैं या उसे धारित कर सकते हैं तथा टेलीविजन प्रसारणकर्ताओं के चैनलों के अतिरिक्त अपने संबंधित टीवी नेटवर्क में स्वयं के वीडियो/रेडियो/केबल चैनलों के रूप में इसका प्रसारण कर सकते हैं।
v. भारतीय रेडियो संचालक संघ (एआरओआई) : उन रेडियो संचालकों हेतु जो अपने सैटेलाइट तथा क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली विषय-वस्तु के लिए जिम्मेवार है।
vi. सामुदायिक रेडियो मंच (सीआरएफ) : सामुदायिक रेडियो केन्द्रों हेतु।
vii. प्रसार भारती : दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो के लिए। प्रसार भारती एएससीआई की उपभोक्ता शिकायत समिति की तर्ज पर अपने आंतरिक शिकायत समाधान निकाय की स्थापना कर सकती है।

प्रसारण उपभोक्ता शिकायत समिति (बीसीसीसी) की शक्तियां तथा कार्य :

14. एएससीआई/आईबीएफ/एनबीए/एमएसओ एलाइंस/सीओएफआई/एआरओआई/सीआरएफ/पीबी या केन्द्र सरकार अथवा ब्राई द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी अन्य संगठन की प्रसारण उपभोक्ता शिकायत समिति के पास उपभोक्ताओं अर्थात दर्शकों या श्रोताओं तथा अपने संबंधित उद्योग खण्ड में किसी बीएसपी के बीच विषय-वस्तु को लेकर होने वाले विवादों के संबंध में, इसकी एएससीआई/आईबीएफ/एनबीए/एमएसओ एलाइंस/सीओएफआई/एआरओआई/पीबी, जैसा भी मामला हो, की सदस्यता पर ध्यान दिए बिना, निम्नलिखित शक्तियां तथा अधिकार होंगे :

क. बीएसपी के किसी कार्यक्रम या विज्ञापन प्रसारण के संबंध में अपीलों/शिकायतों या परेशानियों को प्राप्त करना।

ख. आवश्यक समझे जाने वाले किसी कार्यक्रम या विज्ञापन की अपेक्षित टेप प्राप्त करना। बीएसपी तथा विज्ञापनदाता को इसे अधिकतम 5 कार्य दिवसों की अवधि में प्रदान करना होगा। प्रसारण के 90 दिनों बाद तक टेप को संरक्षित करने की लाइसेंस शर्त के बावजूद, बीएसपी के लिए इन्हें शिकायतों के अंतिम निपटारे तक सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

ग. कथित अपीलों/शिकायतों की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर ऐसी अपीलों/शिकायतों पर विचार करना तथा लिखित में तर्कसंगत निर्णय पारित करके इनके निपटान की सुविधा प्रदान करना।

घ. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना एवं शिकायतकर्ता द्वारा दायर किए लिखित प्रतिवेदन तथा सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के बाद अपना निर्णय देना।

ड. यदि संबंधित बीसीसीसी या अन्य कोई ऐसा संगठन जिसे केन्द्र सरकार या ब्राई (जैसा भी मामला हो) द्वारा अधिसूचित किया जाता है, यह समझें कि बीएसपी से चूक हुई है तो यह :

(i) बीएसपी को निर्णय लंबित रहने तक आपत्तिजनक कार्यक्रम या विज्ञापन का प्रसारण न करने का निदेश दे सकती है।

(ii) बीएसपी को विज्ञापन या कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, में उपयुक्त संपादन करने का निदेश दे सकती है ताकि प्रमाणन नियमों की अनुपालना हो सके।

(iii) यह निदेश दे सकती है कि ऐसा विज्ञापन या कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, किसी भी बीएसपी द्वारा प्रसारित नहीं किया जाएगा।

(iv) बीएसपी को इसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त तरीके से क्षमा याचना/असहमति/चेतावनी का प्रसारण करने का निदेश दे सकती है।

(v) एएससीआई/आईबीएफ/एनबीए/एमएसओ एलाइंस/सीओएफआई/एआरओआई/सीआरएफ/पीबी के संविधान तथा उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किसी दण्डात्मक कार्रवाई का आदेश दे सकती है।

(vi) यह इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित कर सकती है।

च. शिकायतकर्ता तथा बीएसपी को इसके द्वारा पारित किए गए आदेशों की एक प्रति भेजना एवं इन्हें अपनी वेबसाइट पर डालना और ऐसे सभी पारित किए गए आदेशों की अद्यतन सूची बनाए रखना।

छ. बिना किसी वाजिब कारण के इसके आदेशों की अनुपालना न किए जाने पर प्रासंगिक नियमों, कानूनों, दिशानिर्देशों, लाइसेंस शर्तों इत्यादि के अंतर्गत उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार या ब्राई, जैसा भी मामला हो, को सूचित करना।

ज. समय-समय पर केन्द्र सरकार या ब्राई द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

झ. इन दिशानिर्देशों एवं प्रमाणन नियमों के बारे में जागरूकता तथा समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम शुरू करना। वे आम जनता को विषय-वस्तु विनियमन प्रणाली में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

ञ. उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों या अपीलों पर निर्णय देने के दौरान उनके समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों के स्वरूप के आधार पर इन दिशानिर्देशों या प्रमाणन नियमों पर दिए गए स्पष्टीकरणों, विस्तारों, संशोधनों के बारे में केन्द्र सरकार अथवा ब्राई को सिफारिश करना।

घ. <u>शिकायत-समाधान प्रणाली</u>

15. **बीएसपी/बीसीसीसी के समक्ष शिकायत :** कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भारत के किसी भी मंच या नेटवर्क में टेलीविजन या रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए गए कार्यक्रम या विज्ञापन में प्रमाणन नियमों के किसी विशिष्ट उल्लंघन हेतु किसी भी फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी कोई भी शिकायत या तो सीधे तौर पर संबंधित बीएसपी के पास या उद्योग खण्ड की उस प्रासंगिक सीसीसी के पास दर्ज करवाई जा सकती है जिससे वह बीएसपी संबंधित है, बशर्ते बीएसपी द्वारा उस किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया

जाएगा जो नियमों का उल्लंघन करने वाली फिल्म, कार्यक्रम या विज्ञापन, जैसा भी मामला हो, के प्रसारित होने की तारीख से 30 दिन बाद दर्ज करवाई जाती है। तथापि, सभी मामलों में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नियमों का कथित उल्लंघन करने वाली फिल्म, कार्यक्रम या विज्ञापन के प्रसारित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रासंगिक उद्योग खण्ड की बीसीसीसी के पास शिकायत दर्ज करवा सकता है। हालांकि, शिकायत दर्ज करवाने की अंतिम समय-सीमा में, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, बीएसपी या संबंधित बीसीसीसी के विवेक से छूट दी जा सकती है।

16. बीएसपी द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रमाणन नियमों के उल्लंघन की प्रत्येक शिकायत को शिकायतकर्ता को लिखित में सूचना देते हुए 10 कार्य दिवसों में निपटाया जाना चाहिए। परिणामतः बीएसपी :

क. विशेष कार्यक्रम के प्रसारण को रोक सकती है अथवा

ख. भविष्य के लिए इसकी विषय-वस्तु को आशोधित कर सकती है तथा लोगों के दिमाग में पैदा हुई गलत अवधारणा को ठीक कर सकती है अथवा

ग. उपयुक्त तरीके से क्षमा मांग सकती है अथवा

घ. शिकायतकर्ता को लिखित में बताए गए कारणों की वजह से उसकी शिकायत को रद्द करने के बारे में सूचित कर सकती है।

17. बीसीसीसी के समक्ष अपील/शिकायत : संबंधित शिकायतकर्ता को बीएसपी के निर्णय के विरूद्ध बीएसपी से निर्णय प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उद्योग-खंड स्तर के प्रतिनिधि निकाय के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

18. बीएसपी के निर्णय के खिलाफ अपील या सीधी शिकायत की प्राप्ति पर, संबंधित बीसीसीसी पहले इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जिस बीएसपी के खिलाफ शिकायत या अपील दर्ज करवाई गई है क्या वह उसके न्याय अधिकार क्षेत्र में है। यदि नहीं, तो बीसीसीसी शिकायत अथवा अपील को, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता एवं संबंधित बीएसपी को सूचित करते हुए प्रासंगिक बीसीसीसी को अग्रेषित कर देती है।

19. यदि शिकायत या अपील इसके न्याय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो प्रासंगिक उद्योग खण्ड की बीसीसीसी, बीएसपी को युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के बाद इसे कथित आपराधिक विषय-वस्तु के प्रसारण को शिकायत या अपील पर अंतिम निर्णय लम्बित रहने तक रोकने का निदेश देने सहित अंतरिम आदेश पारित करने या पारित न

करने, जैसा भी उचित समझे, का निर्णय दे सकती है। बीएसपी को उक्त अंतरिम आदेश की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी।

हालांकि, शिकायतकर्ता या बीएसपी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरिम आदेश के खिलाफ अतिरिक्त अपीलीय उपचारों को दायर कर सकता है।

20. प्रासंगिक उद्योग-खण्ड स्तर के निकाय की बीसीसीसी किसी भी शिकायत या अपील का इसके द्वारा प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अंतिम निपटारा करेगी तथा केन्द्र सरकार या ब्राई, जैसा भी मामला हो, द्वारा निहित की गई शक्तियों के अनुसरण में उपयुक्त समझे जाना वाला आदेश पारित करेगी।

21. ब्राई के समक्ष अपील/शिकायत : संबंधित बीसीसीसी के अंतरिम या अंतिम आदेश से संतुष्ट न होने वाले शिकायतकर्ता अथवा बीएसपी ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ब्राई के समक्ष अपील कर सकते हैं। यदि ब्राई द्वारा सीधे तौर पर शिकायत प्राप्त की जाती है, तो यह ऐसी शिकायत को उद्योग-खण्ड स्तर के संगठन की संबंधित बीसीसीसी के पास भेजेगी, जिससे बीएसपी सभी सामान्य मामलों में संबंधित है। तथापि, ब्राई के पास स्वयं संज्ञान लेते हुए अथवा प्रमाणन नियमों के कथित तौर पर ऐसे गंभीर उल्लंघन के मामलों में जिससे देश की सुरक्षा या अखण्डता को खतरा होता हो अथवा प्रमाणन नियमों के थीम 6 (धर्म एवं समुदाय) या थीम 9 (सामान्य प्रतिबंधों) के तहत प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर स्वयं भी उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार है।

22. ब्राई के समक्ष अपील/मामले के लम्बित रहने के दौरान, बीएसपी या शिकायतकर्ता संबंधित बीसीसीसी द्वारा पारित किए गए अंतरिम या अंतिम आदेशों के खिलाफ आदेशों सहित ब्राई से अंतरिम निदेश प्राप्त कर सकता है। ब्राई बीएसपी को युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के बाद इसके समक्ष आए मामले का अंतिम निपटारा होने तक निम्नलिखित अंतरिम आदेशों को पारित कर सकती है :

i. अंतिम निर्णय लम्बित रहने तक बीएसपी को आपत्तिजनक कार्यक्रम या विज्ञापन को प्रसारित न करने का निदेश देना; अथवा
ii. बीएसपी को विज्ञापन या कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, का उपयुक्त संपादन करने का निदेश दे सकती है ताकि प्रमाणन नियमों की अनुपालना की जा सके; अथवा

iii. यह निदेश दे सकती है कि ऐसा कार्यक्रम या विज्ञापन, जैसा भी मामला हो, किसी भी बीएसपी द्वारा प्रसारित नहीं किया जाएगा; अथवा

iv. बीएसपी को इसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त तरीके से क्षमा/असहमति/चेतावनी का प्रसारण करने का निदेश दे सकती है; अथवा

v. इसके द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य आदेश पारित कर सकती है।

ब्राई द्वारा पारित किए गए आदेश की एक प्रति शिकायतकर्ता, बीएसपी और संबंधित बीसीसीसी या ब्राई द्वारा अधिसूचित किसी अन्य ऐसे संगठन को भेजी जाएगी। ब्राई को ऐसे पारित किए आदेशों की अद्यतन सूची अपनी वेबसाइट पर भी बनाए रखनी होगी।

23. ब्राई द्वारा इसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी अपील या शिकायत का अंतिम निपटारा किया जाएगा तथा संबंधित पार्टी को युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा इसमें निहित की गई शक्तियों के अनुसरण में निर्धारित जुर्मानों सहित इसके द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला आदेश पारित कर सकती है।

एफसीएटी के समक्ष अपील : कोई बीएसपी या शिकायतकर्ता जो ब्राई के आदेश से संतुष्ट नहीं है, वह फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रतिकूल दिए गए निर्णय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

परिशिष्ट-1

विषय-वस्तु प्रमाणन नियमावली, 2008

(ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 6 एवं 7 का स्थान लेंगे)

अध्याय-1

परिभाषाएं

किसी कार्यक्रम के **"वर्गीकरण"** का अर्थ है, 'यू', 'यू/ए', "ए" और "एस" कार्यक्रमों की चार श्रेणियों के लिए उपयुक्त विषय, विषय-वस्तु निरूपण एवं श्रव्य-दृश्य विवरण के अनुसार किसी कार्यक्रम का अंश-शोधन करना। सभी कार्यक्रमों/दृश्यों/विज्ञापनों को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा :

विषय : विषय-वस्तु, सामग्री का शीर्ष या उससे संबंधित अभिकल्पना।

विषय-वस्तु निरूपण : दर्शकों एवं श्रोताओं के मध्य "संभावित प्रभाव" को ध्यान में रखते हुए समग्र विषय का किया गया निरूपण।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : विषय का स्क्रीन/रेडियो पर प्रस्तुतीकरण।

"श्रेणी यू" ये कार्यक्रम सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है तथा निर्बाध रूप से देखे जाने के अनुकूल है।

"श्रेणी यू/ए" इन कार्यक्रमों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु अनुपयुक्त सामग्री होती है। ये कार्यक्रम केवल वयस्को या माता-पिता की देखरेख में 12 वर्ष की आयु से ऊपर के किशोरों द्वारा देखे जाने के लिए ही सीमित होते हैं।

"श्रेणी ए" ये कार्यक्रम केवल प्रौढ़ दर्शकों द्वारा देखे जाने के ही अनुकूल होते हैं - ये कार्यक्रम केवल वयस्कों द्वारा देखे जाने के लिए ही होते हैं, अतः 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु ये अनुपयुक्त हो सकते हैं।

"श्रेणी एस" वैज्ञानिक, तकनीकी या चिकित्सा विषयों पर विशिष्ट श्रेणी के तहत बनाई गई फिल्में या कार्यक्रम किसी व्यवसाय के सदस्यों या व्यक्तियों के वर्ग (जैसा डाक्टर

इत्यादि), जैसा कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तक ही सीमित होते हैं।

"मानहानि" : इसका वही अर्थ है जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) में इसका तात्पर्य दिया गया है।

"**जानवरों के साथ क्रूरता का चित्रण"** इसका अर्थ है फोटोग्राफ, चल-चित्र फिल्म, वीडियो रिकार्डिंग, इलेक्ट्रानिक चित्र या साउंड रिकार्डिंग सहित कोई ऐसा दृश्य या श्रव्य चित्रण जिसमें किसी जीवित जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है, बंधक बनाया जाता है, मारा जाता है, परेशान किया जाता है, घायल किया जाता है या उसकी हत्या की जाती है या कोई अन्य ऐसा आचरण किया जाता है जो पशु-संरक्षण कानूनों के तहत गैर-कानूनी है।

"अभिज्ञेय व्यापक सार्वजनिक हित" इसमें अपराध या व्यवधान पैदा करने वाले व्यवहार की पहचान करना व उसका रहस्योद्घाटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा का संरक्षण करना किसी व्यक्ति या संगठनों द्वारा किए गए भ्रामक दावों की पोल खोलना; या व्यापक सार्वजनिक हित में सार्वजनिक कार्यालयों में अत्यधिक अक्षमता को उजागर करना शामिल है।

अपमान-लेख" : एक प्रकाशित (प्रसारण सहित) झूठा विवरण जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा हो;एक लिखित मानहानि।

"अश्लीलता" : इसका अर्थ है यौन क्रीड़ाओं या नंगे लोगों का इस प्रकार से वर्णन या चित्रण करना जिसका उद्देश्य यौन उत्तेजना पैदा करना हो एवं जिसका कोई कलात्मक महत्व न हो तथा जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा आपराधिक या बुरा समझा जाए।

"झूठी-निन्दा" किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला झूठा भाषण देने का अपराध या कार्य।

"पीड़ा" इसका अर्थ होगा बुरे बर्ताव द्वारा किसी मनुष्य या पशु को शारीरिक या मानसिक दुख या पीड़ा या आघात पहुंचाना।

"ट्राफी" इसका अर्थ है किसी पालतू या जंगली जानवर जिसे किसी भी तरीके से चाहे कृत्रिम या प्राकृतिक, रखा गया है या संरक्षित किया गया है, के शरीर का एक भाग या

पूरा शरीर तथा इसमें शामिल होते हैं :

1. चर्म प्रसाधन प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे जानवरों के शरीर के पूरे तौर पर या आंशिक तौर पर कम्बल, खाल या नमूने तैयार करना; और
2. मृगों के सींग, सींग, बाल, पंख, नाखून, दांत, कस्तूरी, अंडे, गैंडे का सींग।

"हिंसा" इसका अर्थ है शारीरिक बल की पुख्ता धमकी का कोई चित्रण या किसी प्राणी या प्राणियों के समूह को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वास्तविक बल का प्रयोग करना तथा इसमें घरेलू हिंसा तथा सभी प्रकार के यौन शोषण एवं राष्ट्रिक रूप से, हाव-भाव से या कार्य से परेशान करना शामिल है। हिंसा में किसी प्राणी या उनके समूह के खिलाफ हिंसा के अज्ञात साधनों के परिणामस्वरूप शारीरिक हानि के कतिपय परिणामों का चित्रण भी शामिल है।

"अधिपत्र" इसका अर्थ है यदि प्रसारणकर्ता अधिपत्र के अनुसार निजता के उल्लंघन को न्यायोचित ठहराना चाहते हैं, तो उन्हें यह दर्शाना होगा कि मामले की किन विशेष परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी गई है। यदि यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा सार्वजनिक हित में किया गया है तब प्रसारणकर्ता को यह दर्शाना होगा कि सार्वजनिक हित निजता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सार्वजनिक हित के उदाहरणों में अपराध की पहचान करना या उसका रहस्योद्घाटन करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा का संरक्षण, व्यक्तिगत तौर पर या संगठनों द्वारा किए गए भ्रामक दावों की पोल खोलना या जनता को प्रभावित करने वाली अक्षमता का प्रकटीकरण करना शामिल है।

अध्याय II

1. श्रेणी निर्धारण नियमावली

1. प्रसारण सेवा प्रदाता (बीएसपी) इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्यक्रमों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है :

(क) श्रेणी 'यू' - ऐसे कार्यक्रमों हेतु जो सभी दर्शकों द्वारा निर्बाध रूप से देखे जाने के लिए उपयुक्त है।

(ख) श्रेणी 'यू/ए' या 'पीजी' - ऐसे कार्यक्रमों हेतु जो केवल वयस्कों या 12 वर्ष की आयु से ऊपर के नाबालिगों द्वारा माता-पिता की देखरेख में सीमित रूप से देखे जाने के लिए उपयुक्त है।

(ग) श्रेणी 'ए' - ऐसे कार्यक्रमों हेतु जो केवल 18 वर्ष की आयु से अधिक के वयस्कों द्वारा सीमित रूप से देखे जाने के लिए उपयुक्त है।

(घ) श्रेणी 'एस' - वैज्ञानिक, तकनीकी तथा चिकित्सा कार्यक्रमों या फिल्मों हेतु जो व्यावसायिकों या व्यावसायिक या शैक्षिक उद्देश्यार्थ लोगों के एक समूह द्वारा सीमित रूप से देखे जाने के लिए उपयुक्त है।

2. बीएसपी प्रत्येक श्रेणी के कार्यक्रम का प्रसारण नीचे दिए गए श्रेणी निर्धारण के अनुसार करेगा :

क्र.सं.	कार्यक्रम की श्रेणी	कार्यक्रम की श्रेणी निर्धारण
1	श्रेणी 'यू' एवं 'एस'	सभी समय पर
2	श्रेणी 'यू/ए'	शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे तक
3	श्रेणी 'ए'	शाम 11 बजे से सुबह 4 बजे तक

बशर्ते बीएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि 'वयस्क' वर्ग के कार्यक्रमों को वर्गीकरण प्रणाली में दिए गए प्रतिबंधों के समरूप श्रेणी 'ए' के उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें संपादित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि समाचार एवं समसामयिक मामलों (एन एवं सीए) के कार्यक्रमों हेतु बीएसपी ऐसे समाचार कवरेज दृश्यों को जो उपरोक्त श्रेणी निर्धारण के

अनुसार नहीं है, उन्हें समाचार बुलेटिन में प्रसारित करने से पहले चेतावनी प्रदान करेगा तथा उन्हें उपयुक्त रूप से छुपाएगा।

3. वर्तमान में लागू अन्य नियमों एवं विनियमों में किसी भी अन्य बात के निहित होने के बावजूद, बीएसपी को सीबीएफसी या भारत सरकार अथवा ब्राई द्वारा निम्न हेतु प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण से पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना होगा :

"सभी फिल्म (विदेशी फिल्मों, संगीत वीडियो, एल्बमों, ट्रेलर, प्रोमोज, गीतों इत्यादि सहित)।"

तथा बीएसपी द्वारा इन्हें ऐसे प्रमाणन के बाद ही टेलीविजन या रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा तथा वह इनको उपरोक्त प्रमाणित वर्गीकरण के अनुकूल ही निर्धारित करेगा।

अध्याय III

वर्गीकरण प्रणाली

सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जहां सीबीएफसी या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन एवं पूर्व अवलोकन निर्धारित किया गया है, सभी प्रकार की सामग्री अर्थात प्रत्येक फिल्म, कार्यक्रम या विज्ञापन को प्रसारण सेवा प्रदाता (बीएसपी) द्वारा विषय-वस्तु निरूपण एवं विभिन्न विषयों के श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, के आधार पर किसी एक श्रेणी के तहत स्व-प्रमाणित किया जाएगा। जबकि प्रत्येक फिल्म, कार्यक्रम या विज्ञापन को सीबीएफसी या बीएसपी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित किया जाएगा एवं समग्र वर्गीकरण किया जाएगा तथा प्रत्येक दृश्य या संवाद की नीचे दिए गए विभिन्न विषयों हेतु निर्धारित मानदण्डों की समरूपता हेतु समीक्षा की जाएगी। यह आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य या संवाद को समग्र 'यू' प्रमाणन प्रदान करने के लिए 'यू' घोषित किया जाए। निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री का, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों तथा आवेदक/सामग्री प्रदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने या सामग्री में उपयुक्त आशोधन करने के लिए युक्तिसंगत अवसर प्रदान किए जाने के बाद, सीबीएफसी या बीएसपी अथवा किसी अन्य समक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन किए जाने से मना किया जा सकता है।

समाचार एवं समसामयिक मामले (एन एंड सीए) कार्यक्रम इस अध्याय की विषय-वस्तु के अतिरिक्त अध्याय-IV द्वारा भी अभिशासित होंगे।

अन्य सभी प्रकार की सामग्री का निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा :

विषय 1 : अपराध एवं हिंसा
विषय-वस्तु निरूपण : जबकि समग्र विषय, कहानी, चरित्र-चित्रण के आधार पर अपराध या हिंसा के एक या दो विशिष्ट दृश्यों को न्यायोचित ठहराया जा सकता है परंतु सभी श्रेणियों के अंतर्गत ऐसी सामग्री का विषय-वस्तु निरूपण निम्न नहीं होगा : 1. हिंसा या आतंकवाद अथवा इसके कर्ता-धर्ताओं को प्रेरित करना, उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना, न्यायोचित ठहराना, मजबूती प्रदान करना अथवा महिमामंडन करना या कोई ऐसी बात जो कानून एवं व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल हो या जिससे राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलता हो। 2. हिंसा को मानवीय विवादों के स्वीकार्य समाधान या आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना।

3. जातीय, राष्ट्रीय या धार्मिक उद्भव, रंग, वर्ग, धर्म, लिंग, यौन स्थिति, आयु या मानसिक अथवा शारीरिक विकलांगता के आधार पर चिन्हित किए गए विशिष्ट समूहों के खिलाफ हिंसा को भड़काना।
4. अपराधी प्रवृत्ति को वांछनीय और/या आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना।
5. मानव जीवन को खतरे में डालना या अपहरण या 'बंधक' अथवा अपहरण मामलों या कानून एवं व्यवस्था की स्थिति या किसी अन्य सुरक्षा से संबंधित मामले या आपराधिक छान-बीन के मामलों में प्रयासों की सफलता के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होना।
6. मानसिक आघात, असंवेदनशील या अमानवीय प्रभाव पैदा करना जिससे विशेष तौर पर नाबालिगों में मनोवैज्ञानिक विकार या असामाजिक दृष्टिकोण या व्यवहार उत्पन्न हो सकता हो।
7. आपराधिक या हिंसात्मक व्यवहार की होड़ को बढ़ावा देना।
8. अपराधियों की कार्य-प्रणाली की नकल करने के अवसर प्रदान करना तथा इस प्रकार से किसी अपराध या दोष की घटनाओं के अंजाम को बढ़ावा देना।
9. वन्य जीवन को ट्राफियों के तौर पर धारण करने के कार्य को प्रोत्साहित करना।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को नीचे दी गई संबंधित श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाएगा :

श्रेणी 'यू'	**श्रेणी 'यू/ए'**	**श्रेणी 'ए'**
क) अध्यधिक या वीभत्स अपराध या हिंसा का सुस्पष्ट चित्रण करना। ख) सनकी या असाधारण प्रकार की हिंसा या अत्यधिक खतरनाक व्यवहार का सुस्पष्ट वर्णन करना। ग) अत्यधिक खून-खराबे या जमा हुए खून, विच्छिन्न कटे-फटे अंगों या शरीर को दिखाना। घ) हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं को दिखाते समय मृत या गंभीर रूप से घायल लोगों या वीभत्स और जमा हुए खून के दृश्यों का चित्रण करना। ङ) जानवरों के प्रति अत्यधिक क्रूरता या हिंसा (चाहे	क) अत्यधिक सुस्पष्ट या वीभत्स अपराध या हिंसा। ख) सनकी या असामान्य हिंसा या खतरनाक व्यवहार का अत्यधिक सुस्पष्ट चित्रण करना। ग) विच्छिन्न या कटे-फटे अंगों या शरीरों के लंबे दृश्य तथा उनको नजदीक से फिल्माया जाना। घ) हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं को दिखाते समय मृतकों की तस्वीरों या गंभीर रूप से घायल लोगों या वीभत्स या जमा हुए खून के दृश्यों का चित्रण करना। ङ) जानवरों के प्रति सुस्पष्ट क्रूरता या हिंसा का चित्रण करना या जिसको तैयार करते समय पशुओं को	क) वीभत्स अपराध या हिंसा के नजदीक से फिल्माए गए लंबे तथा बार-बार दिखाए जाने वाले दृश्य। ख) सुस्पष्ट तौर पर सनकी या असामान्य हिंसा अथवा खतरनाक व्यवहार का लंबा या बार-बार वर्णन करना। ग) खून-खराबे और जमा हुए खून या विच्छिन्न अथवा कटे-फटे अंगों अथवा शरीरों के नजदीक से लिए गए लंबे दृश्य। घ) हिंसक घटनाओं, प्राक़तिक आपदाओं या दुर्घटनाओं को दिखाते समय मृतकों की तस्वीरों या गंभीर रूप से घायल लोगों या वीभत्स या जमा हुए खून के दृश्यों का चित्रण करना।

सजीव या अभिनय किया गया हो) का सुस्पष्ट चित्रण करना या जिसको तैयार करते समय पशुओं को अत्यधिक पीड़ा, भय या कष्ट हुआ हो, उसका चित्रण करना च) आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के तौर-तरीकों के विवरण को दिखाना।	अत्यधिक पीड़ा, भय या कष्ट हुआ हो, उसका चित्रण करना। च) आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के तौर-तरीकों के विवरण को दिखाना।	ङ) जानवरों के प्रति अभिनय की गई स्पष्ट क्रूरता या हिंसा, अथवा ऐसा अभिनय जिसका उत्पादन करने में पशुओं को अत्यधिक पीड़ा, भय या कष्ट का अनुभव हुआ हो, का लंबे समय तक बार-बार चित्रण।

विषय 2 : सेक्स, अश्लीलता एवं नग्नता

विषय-वस्तु निरूपण : जबकि मानवीय संबंधों की खोज-बीन करने वाले विषयों में यौन संबंध भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए ऐसी सामग्री के विषय-वस्तु निरूपण में सभी श्रेणियों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं होगा :

1. 'ए' श्रेणी के अतिरिक्त वयस्क उन्मुखी होना या व्यभिचार, बाल यौन शोषण या अन्य कोई विकृत या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार को बढ़ावा देना, न्यायोचित ठहराना या ऐसे व्यवहार का महिमामंडन करना।
2. दर्शकों को अश्लील या अशोभनीय या कानून को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना या भड़काना।
3. अशोभनीय या अश्लील व्यवहार को महिमामंडित करने, प्रोत्साहित करने या न्यायोचित ठहराने के लिए सेक्स, नग्नता, चुम्बन या आपराधिक व्यवहार प्रस्तुत करना।
4. किसी महिला की तस्वीर, उसके आकार या शरीर अथवा शरीर के किसी भाग को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि यह महिलाओं के लिए अशोभनीय या अपमानजनक होने का प्रभाव पैदा करता हो या महिला का चित्रण इस प्रकार से किया जाए कि वह मात्र यौन इच्छा या व्यवहार की वस्तु या प्रतीक प्रतीत होती हो।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को नीचे दी गई संबंधित श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाएगा :

श्रेणी 'यू'	श्रेणी 'यू/ए'	श्रेणी 'ए'
क) अश्लील या गाली-गलौच वाली भाषा अथवा यौन अर्थों वाले द्विअर्थी संवादों वाली भाषा को शामिल करना।	क) स्पष्ट तौर पर यौन अर्थों वाली अत्यधिक अश्लील भाषा।	क) अत्यधिक असभ्य भाषा या स्पष्ट तौर पर यौन अर्थों वाले संवादों का लंबे समय तक या बार-बार प्रयोग करना।
ख) किसी भी तरीके से नग्नता दिखाना या सुपस्ष्ट रूप में अथवा हल्का पर्दा डालकर या खुलासा करते हुए अथवा उत्तेजक कपड़ों के साथ सम्पूर्ण महिला वक्षस्थलों को दिखाना।	ख) पेट के नीचे वाले हिस्से को स्पष्ट तौर पर दिखाते हुए या यौन अंगों या पीछे के हिस्से या सम्पूर्ण महिला वक्षस्थलों को दिखाते हुए नग्नता को दिखाना।	ख) यौन अंगों या महिला वक्षस्थलों को सम्पूर्ण रूप से दिखाते हुए पूरी नग्नता को दिखाना।
ग) होठों पर चुम्बन को दिखाना या महिला वक्ष स्थल या मानव अथवा जानवरों के यौन अंगों से प्यार करते हुए या चुम्बन लेते हुए दिखाना।	ग) होठों पर चुम्बन को दिखाना या महिला वक्षस्थल या मानव अथवा जानवरों के यौन अंगों से प्यार करते हुए या चुम्बन करते हुए दिखाना।	ग) होठों पर लंबे समय तक भावुक चुम्बनों या महिला वक्ष स्थलों अथवा मानवीय या पशुओं के यौन अंगों से प्यार करते हुए दिखाना।
घ) अशिष्ट हाव-भावों या	घ) अविवेकी या अश्लील हाव-भावों या हलचलों या यौन कार्यकलापों का संकेत देने वाली आवाजों के नजदीकी	घ) अश्लील या असभ्य हाव-भावों या हलचलों या यौन कार्यकलापों का इशारा करने वाली ध्वनि का लंबे समय तक या बार-बार चित्रण।

हलचल अथवा उत्तेजक ध्वनि या यौन कार्यकलापों को दिखाना। ड.) यौन कार्यकलापों की सुस्पष्ट तस्वीर या यौन विकृति या बलात्कार, छेड़छाड़ इत्यादि सहित हिंसा को दिखाना। च) अश्लीलता दिखाना।	दृश्य दिखाना। ड.) यौन कार्यकलापों की सुस्पष्ट तस्वीर या यौन विकृति या बलात्कार, छेड़छाड़ इत्यादि सहित हिंसा को दिखाना। च) अश्लीलता दिखाना।	ड.) यौन कार्यकलापों की सुस्पष्ट विकृति या बलात्कार, छेड़छाड़ इत्यादि सहित हिंसा को दिखाना। च) अश्लीलता दिखाना।

विषय 3 : भयावह एवं रहस्यमयी		
विषय-वस्तु निरूपण : जबकि झाड़-फूंक, रहस्य, अपसामान्य, शकुन-विद्या, मानवीय या पशुओं का बलिदान या भय का चित्रण करने वाली ऐसी अन्य प्रथाओं को केवल श्रेणी 'ए' में ही शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कथानक या चरित्र-चित्रण इनको न्यायोचित ठहराते हों तथा विषय-वस्तु निरूपण किसी भी प्रकार से:- 1. ऐसी प्रथाओं को न्यायोचित, प्रोत्साहित या महिमामंडित नहीं करता है। 2. ऐसी प्रथाओं को न मानने पर इसके परिणामस्वरूप होने वाली घोर प्रतिक्रिया या भय का संचार नहीं करता है। 3. ऐसी प्रथाओं के प्रभाव से अंधविश्वास या आख मूंद कर विश्वास करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। 4. दर्शकों को ऐसी प्रथाओं की नकल करने या उनके विवरण अथवा स्रोतों को सीखने के लिए समर्थ नहीं बनाता है। 5. रहस्यमयी कार्यक्रमों में महिलाओं का चुड़ैल के रूप में चित्रण नहीं करता है।		
श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को नीचे दी गई संबंधित श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाएगा :		
श्रेणी 'यू'	**श्रेणी 'यू/ए'**	**श्रेणी 'ए'**
क) रहस्य, झाड़-फूंक, अपसामान्य, शकुन-विद्या या मानव अथवा पशुओं का बलिदान या अन्य ऐसी प्रथाओं से संबंधित हिंसा या भय का चित्रण करना। ख) ऐसी प्रथाओं का इस प्रकार के स्पष्ट विवरण के साथ चित्रण करना कि वे वास्तविक या प्रभाव उत्पन्न करने वाली लगें। ग) गीत या नृत्य क्रम जैसे फार्मेट का प्रयोग करना जिनसे ऐसी प्रथाओं के बुरे प्रभाव आकर्षक लगें या उन्हें मुख्य रूप से दिखाया जाए।	क) रहस्य, झाड़-फूंक, अपसामान्य, शकुन-विद्या या मानव अथवा पशु बलिदान या अन्य ऐसी प्रथाओं से संबंधित रहस्य का लंबे समय तक, बार-बार या निराधार चित्रण करना। ख) ऐसी प्रथाओं का इस प्रकार से स्पष्ट चित्रण करना कि वे वास्तविक या प्रभाव उत्पन्न करने वाली लगें।	क) रहस्य, झांड़-फूंक, अपसामान्य, शकुन-विधा या मानव अथवा पशु बलिदान या अन्य ऐसी प्रथाओं से संबंधित अत्यधिक रहस्य का लंबे समय तक, बार-बार या निराधार चित्रण करना।

विषय 4 : मादक पदार्थ, धूम्रपान, तम्बाकू, मादक द्रव्य एवं शराब		
विषय-वस्तु निरूपण : जबकि अवैधानिक या नशीले मादक पदार्थों या तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों या धूम्रपान या मादक-पदार्थों, शराब या द्रव्य नशीले पदार्थों के दुरूपयोग या अत्यधिक प्रयोग को, यदि इसे विषय, कथानक या चरित्र-चित्रण न्यायोचित ठहराता हो, तो केवल श्रेणी 'ए' के अंतर्गत दिखाया जा सकता है, बशर्ते विषय-वस्तु निरूपण किसी भी प्रकार से:- 1. ऐसे उत्पादों के प्रयोग या दुरूपयोग को न्यायोचित, प्रोत्साहित, प्रेरित या महिमामंडित नहीं करेगा। 2. दर्शकों को उनके विभिन्न प्रकार से उपयोग या दुरूपयोग को सीखने या अनुकरण करना नहीं सिखाएगा। 3. व्यक्तिगत स्वास्थ्य या सामाजिक व्यवहार अथवा आपराधिक प्रवृत्तियों पर उनके बुरे प्रभाव को रेखांकित करना नहीं भूलेगा। नोट : सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों अथवा नशा मुक्ति कार्यक्रमों के चित्रण पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।		
श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को नीचे दी गई संबंधित श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाएगा :		
श्रेणी 'यू'	**श्रेणी 'यू/ए'**	**श्रेणी 'ए'**
क) अवैधानिक या नशीले मादक पदार्थों या तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों या धूम्रपान या मादक पदार्थों के दुरूपयोग या अत्यधिक प्रयोग, शराब या अन्य द्रव्यों या अन्य ऐसे हानिकारक उत्पादों के प्रयोग का चित्रण करना। ख) ऐसे हानिकारक उत्पादों को तैयार करने के तरीकों के विवरण या अधिप्राप्ति या इनके प्रयोग या अत्यधिक प्रयोग अथवा दुरूपयोग का चित्रण करना। ग) गीत या नृत्य क्रम के एसे फार्मेट का प्रयोग करना जिससे ऐसे कार्यकलापों को मुख्य तौर पर दिखा गया हो।	क) अवैधानिक या नशीले मादक पदार्थों या तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों या धूम्रपान या मादक पदार्थों के दुरूपयोग या अत्यधिक प्रयोग, शराब या अन्य द्रव्यों या अन्य ऐसे हानिकारक उत्पादों के प्रयोग का चित्रण करना। ख) ऐसे हानिकारक उत्पादों को तैयार करने के तरीकों के विवरण या अधिप्राप्ति या इनके प्रयोग या अत्यधिक प्रयोग अथवा दुरूपयोग का चित्रण करना।	क) अवैधानिक या नशीले मादक पदार्थों या तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों या धूम्रपान या मादक पदार्थों के दुरूपयोग या अत्यधिक प्रयोग, शराब या अन्य द्रव्यों या अन्य ऐसे हानिकारक उत्पादों के प्रयोग का चित्रण लम्बे समय तक, बार-बार या निराधार ढंग से करना। ख) ऐसे हानिकारक उत्पादों को तैयार करने के तरीकों के विवरण या अधिप्राप्ति या इनके प्रयोग या अत्यधिक प्रयोग अथवा दुरूपयोग का चित्रण करना।

विषय 5 : अपमान लेख, झूठी-निन्दा तथा मानहानि

विषय-वस्तु निरूपण : जबकि ऐतिहासिक या वर्तमान घटनाओं, विचारों, व्यक्तिगत रूप में या संस्थाओं पर रिपोर्टों या टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु सभी श्रेणियों के अंतर्गत विषय-वस्तु निरूपण में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होगा :-

1. बिना कोई सत्यापन किए या गलत तथ्यों या अर्द्ध सच या व्यंग्य को जानबूझकर सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना ताकि मीडिया द्वारा ट्रायल से बचा जा सके क्योंकि "कोई भी व्यक्ति तब तक बेकसूर है जब तक कि कानून द्वारा उसे दोषी न ठहरा दिया जाए। ऐसे मामलों में कहानी के दोनो पहलुओं को प्रस्तुत करने का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए।
2. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों या समाज के एक भाग की मानहानि या छवि खराब करना।
3. तथ्यों एवं विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे लोगों में उनकी वास्तविक सटीकता या वैधता के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए।
4. तथ्यों एवं कहानी को इस प्रकार से मिलाना कि आम जनता इनके बीच अंतर न कर सके तथा उनमें गलत संदेश जाए।
5. बिना सत्यापन योग्य प्रमाण दिए प्रसारणकर्ता या इसके कर्मचारियों के विचारों या हितों को जनता के विचारों या हितों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना।
6. कतिपय पहलुओं पर अधिक जोर देकर या उन्हें कम दिखाकर वास्तविकता की एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करना जिससे सामग्री हल्की या सनसनी वाली बन जाए।
7. जब तक अभिज्ञेय व्यापक सार्वजनिक हित न हो, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत या निजी मामलों से संबंधित कार्यकलापों या सामग्री को सार्वजनिक करना या ऐसी सामग्री प्रस्तुत करना जिससे व्यक्तिगत तौर पर निजता का अतिक्रमण होता है।

   कार्यक्रमों या कार्यक्रमों में शामिल की गई सामग्री को प्राप्त करने के संबंध में 'निजता' के किसी भी उल्लंघन का उचित कारण दिया जाना चाहिए।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : ऐतिहासिक या वर्तमान घटनाओं, विचारों, व्यक्तिगत तौर पर या संस्थाओं पर रिपोर्ट या टिप्पणियों के संबंध में सभी श्रेणियों ('यू' या 'यू/ए' अथवा 'ए') के तहत सामग्री के श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाएगा :

क) साहित्य के माध्यमों जैसे संगीत या एनिमेशन या स्केच या आकृतियों अथवा अन्य ऐसी तकनीकों या असहमतियों का प्रयोग किए बिना, जिससे आम जनता में तथ्य तथा साहित्य में स्पष्ट अंतर का संदेश दिया जा सके, साहित्यिक घटनाओं का तथ्यों के तौर पर वर्णन करना।

ख) घटनाओं, विचारों, व्यक्तिगत तौर पर या संस्थाओं की श्रव्य-दृश्य सामग्री या चित्रों को टिप्पणियों के साथ-साथ इस ढंग से प्रस्तुत करना कि जनता दृश्यों एवं टिप्पणियों में विभेद न कर सके या तथ्यात्मक रूप से गलत सूचना में विश्वास करने लगे या जिससे संबंधित व्यक्ति या संस्थाओं के समूह की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता हो।

ग) अभिनय करके तैयार किए गए समाचारों (उदाहरण के लिए नाटक या डाक्यूमेन्ट्रीज में) को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि जिससे जनता द्वारा यह मान लेने की संभावना हो कि वे वास्तविक समाचारों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं।

घ) फाइल (पुराने) श्रव्य-दृश्यों का बार-बार प्रसारण करके वास्तविकता की गलत तस्वीर प्रस्तुत करना।

विषय 6 : धर्म एवं समुदाय
<u>विषय-वस्तु निरूपण :</u> सभी श्रेणियों के तहत किसी कार्यक्रम की विषय-वस्तु निरूपण में किसी भी प्रकार से निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा :- 1. धर्मों एवं समुदायों की मानहानि करना या धार्मिक समूहों का तिरस्कार करना अथवा ऐसे सामुदायिक दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना जिनसे धार्मिक झगड़ा या सामुदायिक अथवा जातिगत हिंसा के भड़कने की संभावना हो। 2. असामंजस्य, द्वेष, कलह, घृणा या विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई समूहों, जातियों या समुदायों के बीच विद्वेष की भावना को भड़काना। 3. किसी व्यक्ति को पूजा के किसी स्थल या धार्मिक समूहों या लोगों के वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाली किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने, खत्म करने या दूसरे स्थान पर रखने के लिए परामर्श देना, विनती करना, सलाह देना, अपील करना या उत्तेजित करना। 4. किसी विशेष धर्म के बारे में 'सच्चा' या 'एकमात्र' धर्म या विश्वास होने का धार्मिक प्रचार करना या किसी व्यक्ति को अपना धर्म या विश्वास बदलने के लिए अपील करना, सलाह देना, दबाव डालना या परामर्श देना या उकसाना। 5. धार्मिक न होने या किसी विशेष धर्म या विश्वास को न अपनाने पर सुस्पष्ट या अस्पष्ट परिणामों का भय दिखाना। 6. धर्म या विश्वास अथवा विचारधारा के नाम पर किसी खतरनाक प्रतिगामी या महिला-पुरूष आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को बढ़ावा देना।
श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को सभी श्रेणियों (यू, यू/ए और ए) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा : क) किसी मानव जाति, भाषाई, धार्मिक समूहों या किसी जाति अथवा समुदायों के भौतिक प्रतीकों या सामाजिक मान्यताओं अथवा परम्पराओं का अपमानजनक तरीके से चित्रण करना अथवा उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश करना या उनकी प्रतिष्ठा को कम करना। ख) धार्मिक या सामुदायिक प्रतीकों या आदर्शों अथवा परम्पराओं या प्रथाओं का अपमानजनक ढंग से चित्रण करना या उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश करना अथवा उनकी प्रतिष्ठा को कम करना।

विषय 7 : हानि एवं अपराध

<u>विषय-वस्तु निरूपण :</u> सभी श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम की विषय-वस्तु निरूपण में किसी भी तरीके से निम्न शामिल नहीं होगा :-

1. सार्वजनिक भय या अनावश्यक चेतावनी जारी करना जिससे आम जनता को अपराध या अव्यवस्था पैदा करने के लिए प्रेरित करने या भड़काए जाने की संभावना हो या जिससे सार्वजनिक भावनाएं आहत होती हों।
2. शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाना या तिरस्कार करना एवं उनको हीन दृष्टि से देखना।
3. मानसिक बीमारियों के कारणों के बारे में अंधविश्वास को बढ़ावा देना अथवा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पर हिंसक या खतरनाक होने का कलंक लगाना।
4. मानसिक स्वास्थ्य का इलाज करने वालों को अनैतिक या शोषण करने वालों के तौर पर रूढ़िबद्ध करना।
5. बिना अधिपत्र के, अनुमति प्राप्त किए बिना किसी व्यक्ति के घर या परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी देना।
6. माता-पिता या कानूनी संरक्षक की सहमति के बिना निजी मामलों के बारे में नाबालिगों से प्रश्न करना, जब तक कि ऐसी सहमति के बिना अभिज्ञेय को व्यापक सार्वजनिक हित हेतु इस प्रक्रिया को करने का आज्ञा-पत्र प्राप्त न किया गया हो।
7. महिलाओं को दब्बू या निष्क्रिय रूप में प्रस्तुत करना ताकि परिवार या समाज में उनकी अधीनस्थ अथवा द्वितीय भूमिका को प्रोत्साहित किया जा सके तथा महिमामंडित किया जा सके।
8. महिलाओं का मुख्यत: यौन भावनाओं पर आधारित वर्णन करना या महिला के शरीर या उसके आकार को यौन शोषण की वस्तु के तौर पर प्रस्तुत करना।
9. बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, द्विपत्नीत्व, लड़के को प्राथमिकता देने इत्यादि सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहित करना, महिमामंडित करना या उनको न्यायोचित ठहराना।
10. ऐसे कार्यकलापों या खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करना, आकर्षक बनाना या प्रेरित करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन को बढ़ावा मिलता हो या जानकारों को नुकसान पहुंचता हो।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को सभी श्रेणियों (यू, यू/ए और ए) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा :

क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मानसिक कमियों, व्यक्तित्वके गुणों अथवा शारीरिक गुणों का अपमानजनक तरीके से चित्रण करना ताकि घृणा या नफरत को पैदा किया जा सके।

ख) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक हिंसक या खतरनाक होने का चित्रण करना।

ग) बच्चों को हिंसा में शिकार बनने या हिंसा करने वाले या उन्हें जबरदस्ती हिंसा का गवाह बनने या किसी भी अन्य रूप में बाल दुर्व्यहार वाले दृश्यों को दिखाना।

घ) हाव-भाव या शब्दों की अभिव्यक्ति या चित्रों द्वारा यह वर्णन करना कि महिलाएं मुख्यत: यौन भावनाओं पर आधारित होती हैं या यह दिखाना कि महिलाओं का शरीर अथवा उसका आकार यौन शोषण की वस्तु है।

ड.) बिना उपयुक्त तकनीकों जैसे पर्दा डालना, धुंधला करना, नाम या पहचान इत्यादि को बदलना इत्यादि के जब तक कि अभिज्ञेय व्यापक सार्वजनिक हित शामिल न हो, विशेषकर नाबालिगों, यौन हिंसा के शिकार लोगों या घातक रोगों जैसे एचआईवी/एड्स या प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं के शिकार किसी व्यक्ति या उसके परिवार या उसके घर की स्थिति को उजागर करना या उसके व्यक्तिगत एवं निजी कार्यकलापों की निजता का संरक्षण करने में विफल रहना।

विषय 8 : विज्ञापन

<u>विषय-वस्तु निरूपण :</u> सभी श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी विज्ञापन की विषय-वस्तु के निरूपण में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होगा :-

1. किसी भी विज्ञापन या प्रोत्साहन सामग्री को विषय के रूप में, बिना इसकी इस रूप में पहचान किए, समाचार एवं समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों में नहीं रखा जाएगा।
2. किसी फिल्म या कार्यक्रम की विषय-वस्तु में किसी विज्ञापन या ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं की प्रोत्साहन सामग्री को रखना, जिनके विज्ञापन जारी करने या प्रोत्साहन करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो अथवा जिन्हें गैर-कानूनी या गैर-सामाजिक अथवा हानिकारक माना गया हो।
3. ऐसा कोई उद्देश्य रखना जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से धार्मिक या राजनीतिक स्वरूप का हो अथवा जो किसी धार्मिक अथवा राजनीतिक प्रयोजन के हो।
4. पर्यावरण प्रभाव सहित व्यक्तियों, घटनाओं, समाज या प्रकृति पर अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में न टिकने वाले दावे करना।
5. बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालना या बुरे अभ्यास द्वारा उनमें कोई रूचि पैदा करना या उन्हें भीख मांगते हुए दिखाना या भद्दे अथवा अश्लील तरीके से दिखाना।
6. किसी कार्यक्रम की स्थिति, प्रदर्शन या याद रखने वाली स्टाइल का इस तरह से उपयोग करना जिससे दर्शकों में इस बारे में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए कि वह एक कार्यक्रम देख रहे हैं या कोई विज्ञापन।
7. किसी विज्ञापन का इस प्रकार से उल्लेख करना, जिससे दर्शकों को यह विश्वास हो जाए कि वे कार्यक्रम देख रहे हैं।
8. विज्ञापन में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा स्वीकार किए गए स्व-विनियमन कोडों, समय-समय पर यथा-संशोधित, का उल्लंघन करना।
9. बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, द्विपत्नीत्व, लड़के को प्राथमिकता देने इत्यादि जैसी सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहित करना, आकर्षक बनाना तथा न्यायोचित ठहराना।
10. ऐसे उल्लेख निहित होना जिससे आम जनता यह समझे कि विज्ञापन में दिखाए गए उत्पाद या इसके किसी संघटक में कोई विशेष या रहस्यमयी या असहज गुण हैं अथवा कोई ऐसे गुण हैं जिनको सिद्ध किया जाना मुश्किल है।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को सभी श्रेणियों (यू, यू/ए और ए) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा :

क) किसी कार्यक्रम के साथ विज्ञापन को साथ-साथ इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि 20 प्रतिशत से अधिक स्क्रीन का प्रयोग शीर्षक, स्थायी या चल तस्वीरों को कार्यक्रम के साथ दिखाने के लिए न किया जाए।

ख) किसी कार्यक्रम की सामग्री में ऐसे उत्पादों या सेवाओं जिनके विज्ञापन जारी करने या प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिबंध है, के किसी विज्ञापन अथवा प्रोत्साहित की जाने वाली सामग्री को रखना या ऐसी सामग्री को रखना जिसे गैर-कानूनी या गैर-सामाजिक अथवा नुक्सानदायी समझा जाता है।

विषय 9 : सामान्य प्रतिबंध
<u>विषय-वस्तु निरूपण :</u> सभी श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम की विषय-वस्तु निरूपण में किसी भी तरीके से निम्न शामिल नहीं होगा :- 1. भारत के संविधान या लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन। 2. राष्ट्र की अखंडता के प्रतिकूल निन्दा करना। 3. मानहानि होना या न्यायालय की अवमानना। 4. देश की न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव। 5. देश की अखंडता पर प्रभाव या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना या जोखिम में ड़ालना। 6. राष्ट्रपति या न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के खिलाफ निन्दा करना। 7. राष्ट्रीय प्रतीक का दुरूपयोग करना।
श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण : किसी सामग्री का श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण एक जिम्मेवार एवं सुरूचिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्नलिखित को सभी श्रेणियों (यू, यू/ए और ए) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा : क) राष्ट्रीय प्रतीक या संकेतों अथवा जानबूझकर अपमानजनक ढंग से राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं को तोड़-मरोड़कर या अप्रतिष्ठित रूप से पेश करना या चित्रण करना।

परिशिष्ट-।।

नियमों एवं कोड (नियम) की सूची

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गई प्रमाणन नियमावली।
2. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940.
3. एम्बलेम एंड नेम्स (अनुचित प्रयोग की मनाही) एक्ट, 1950.
4. ड्रग्स (नियंत्रण) एक्ट, 1950.
5. ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट, 1954.
6. प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्टिरेशन एक्ट, 1954.
7. प्राइज कम्पीटिशन एक्ट, 1955.
8. इंडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रतिबंध) एक्ट, 1986.
9. ट्रेड एंड मर्केन्डाइज मार्क्स, एक्ट 1999.
10. कॉपीराइट एक्ट, 1957.
11. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनिययम, 2003.
12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986.
13. द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960.

अध्याय-IV

समाचार एवं समसामयिक मामले (एन एंड सीए) कार्यक्रम

विषय-वस्तु निरूपण :

1. प्रसारणकर्ताओं को समाचार सामग्री और उसके निर्धारण में बच्चों की संवेदनाओं तथा हितों के संरक्षण का विशेष ध्यान रखते हुए तथा सामान्य परिवार के देखे जाने के दृष्टिगत शिष्टता एवं समाज के सामान्य सामुदायिक मानकों का ध्यान रखना होगा। दर्शकों को आघात, नाराजगी तथा भ्रामकता से बचाने के लिए विशेष सावधानी तथा संवेदनशीलता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

2. समाचारों की रिपोर्ट यथा सटीकता के साथ की जानी चाहिए तथा इन्हें यथोचित निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सटीकता के लिए सत्यापन (अधिकतम संभव सीमा तक) तथा विशेष किसी घटना या मुद्दे को समझने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता होती है।

निष्पक्षता की अवधारणा के लिए 'यथोचित' एक महत्वपूर्ण योग्यता है। निष्पक्षता का स्वयं में ही अर्थ है एक पक्ष का दूसरे की अपेक्षा पक्ष न लेना। 'यथोचित' का अर्थ है विषय और कार्यक्रम के स्वरूप के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त होना। इसलिए 'यथोचित निष्पक्षता' का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक मत को बराबर समय दिया जाए या प्रत्येक बहस के प्रत्येक तर्क या प्रत्येक पहलू को प्रस्तुत किया जाए। विषय के स्वरूप, चैनल एवं कार्यक्रम के प्रकार या सेवा, सामग्री के प्रति दर्शकों की संभावित आशा, तथा किस सीमा तक सामग्री अथवा दृष्टिकोण को दर्शकों तक पहुंचाया गया है, के अनुसार 'यथोचित निष्पक्षता' के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है।

संतुलन, या निष्पक्षता के लिए सभी मुख्य मतों या किसी घटना अथवा मुद्दे की व्याख्या को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, सटीकता एवं निष्पक्षता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, चाहे बीएसपी, रिपोर्टर, संपादक या दर्शक इन विचारों से सहमत हों या न हों। समाचारों में हुई किसी गलती को स्वीकार करना चाहिए तथा गलती का नोटिस आने के एक सप्ताह के भीतर उसे ठीक किया जाना चाहिए। शुद्धियों अथवा क्षमा-याचना को उसी समय बैण्ड में निर्धारित किया जाना चाहिए, जहां मूल गलती हुई थी।

3. समाचार अच्छी तरह से संतुलित होने चाहिए तथा बीएसपी यह प्रयास करेगा कि समाचार व्यापक है, वास्तविक सामग्री को सटीक रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा सभी दृष्टिकोणों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। टिप्पणियों तथा विश्लेषण को समाचारों में स्पष्ट तौर पर अलग से दर्शाया जाएगा तथा टिप्पणी एवं विश्लेषण से पहले वास्तविक समाचार को दिखाया जाएगा।

4. सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर विचार-विमर्श/बातचीत को प्रस्तुत करते समय, इसके पक्ष तथा विपक्ष में व्यक्त किए गए विचारों को संतुलित ढंग से, सच्चाई, निष्पक्षता एवं बिना किसी भेदभाव के आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. रिपोर्टर या प्रस्तुतकर्ता की कोई व्यक्तिगत रूचि, जो कार्यक्रम की यथोचित निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा कर सकती है, को श्रोताओं को अवश्य ही स्पष्ट किया जाना चाहिए।

6. समाचारों का चयन तथा प्रस्तुतीकरण अच्छी रूचि द्वारा निर्देशित होना चाहिए। तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक न होने वाले रूग्ण, सनसनीखेज या चेतावनी देने वाले विवरणों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

7. बीएसपी को राजनीतिक या औद्योगिक विवादों या वर्तमान सार्वजनिक नीतियों से संबंधित मामलों पर किसी विशेष व्यक्ति या निकायों के दृष्टिकोणों अथवा विचारों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए।

8. भावनाएं जगाने के लिए प्रयोग किए गए कथा-साहित्य के साधन जैसे संगीत अथवा एनिमेशन मनोरंजन तथा समाचारों के बीच की सीमा को धुंधला कर देते हैं। समाचार और घटनाओं या/और कथा-साहित्यिक तत्वों के साथ रिपैकेजिंग के किसी कथा-साहित्यिक फिल्मांकन के लिए, कार्यक्रम हेतु लागू मानदण्ड वही होंगे जो इस प्रसारण सामग्री कोड में गैर-समाचार एवं समसामयिक मामलों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं।

9. समाचारों से राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़नी चाहिए तथा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाचार प्रसारण राष्ट्र के हित में है। ऐसे प्रसारण की सभी योजनाएं, जिनमें राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन लोगों के विचारों को दिखाया जाता है या उनकी जांच-पड़ताल की जाती है, जो इसके लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं या उसका

समर्थन करते हैं, उनके प्रसारण का प्रबंध करने से पहले उन पर वरिष्ठ संपादक/प्रबंधन द्वारा सावधानीपूर्वक आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

10. समाचारों से कोई वर्तमान में जारी जांच-पड़ताल खतरे में नहीं पड़नी चाहिए तथा ऐसे मामलों में यथोचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

11. बीएसपी मीडिया द्वारा ट्रायल नहीं करेगा क्योंकि 'कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने तक निर्दोष होता है।' ऐसे मामलों में कहानी के दोनों पक्षों को प्रस्तुत करने तथा एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सावधानी बरती जानी चाहिए।

12. कोई भी सामग्री किसी ऐसे तरीके से प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए जिससे सार्वजनिक भय और अनावश्यक चेतावनी पैदा होती हो। बीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी ऐसी सामग्री का प्रसारण न हो जिससे दर्शकों को अपराध या अव्यवस्था पैदा करने या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए जाने के लिए प्रेरित करने या भड़काने की संभावना हो।

13. अपराध, हिंसा, राष्ट्रीय त्रासदी की स्थिति के दृश्यों और पुरातन-पंथियों की अलौकिक प्रथाओं को कवर करने वाले समाचारों को अत्यधिक निष्पक्षता तथा संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाना चाहिए तथा इन्हें हल्के रूप में, सनसनीपूर्ण ढंग से या महिमामंडित करते हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए।

14. समाचार आधारित/संबंधित कार्यक्रमों में निजता का उल्लंघन एक संवेदनशील मुद्दा है। कई कार्यक्रमों को ऐसे घुमाया जाता है जहां सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है, हालांकि इस पर लोगों के विचार अलग-अलग हैं। इसलिए, किसी ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण करते समय, जिससे लोगों की निजता भंग होती हो, बीएसपी को अत्यधिक जिम्मेवारी का परिचय देने की आवश्यकता है। नीचे दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण करने में विफल रहने पर इसे कोड के इस अध्याय का उल्लंघन करना माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप निजता का बिना अधिपत्र उल्लंघन होगा :

14.1 चैनलों को लोगों के व्यक्तिगत या निजी मामलों से संबंधित सामग्री या ऐसी सामग्री जिससे व्यक्तिगत निजता का अतिक्रमण होता हो, का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसी सामग्री के प्रसारण हेतु कोई अभिज्ञेय व्यापक सार्वजनिक हित या कारण न हो।

14.2 निजता से संबंधित मामलों या सार्वजनिक मामलों में दखल वाले मुद्दों का चयन करते समय इस पर वरिष्ठ संपादकीय नियंत्रण होना चाहिए।

14.3 समाचार आधारित/संबंधित कार्यक्रमों या ऐसे कार्यक्रमों में शामिल सामग्री प्राप्त करने में निजता के किसी अतिक्रमण का 'अधिपत्र' अवश्य ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

14.4 समाचार आधारित/संबंधित कार्यक्रम को तैयार करते समय निजता के किसी उल्लंघन हेतु व्यक्ति और/या संगठन की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए या अन्यथा उसके लिए 'आज्ञा-पत्र' होना चाहिए।

(क) यदि किसी समाचार आधारित/संबंधित कार्यक्रम के प्रसारण से किसी व्यक्ति या संगठन की निजता का अतिक्रमण होता है और निजता के अतिक्रमण हेतु आज्ञा-पत्र नहीं है तो प्रासंगिक कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व उनकी सहमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए। (फोन-इन कार्यक्रमों में कॉल करने वालों को अपने योगदान के प्रसारण के लिए सहमत माना जाएगा)।

(ख) यदि किसी व्यक्ति या संगठन की निजता का अतिक्रमण हो रहा है तथा वे यदि इसके फिल्मांकन, रिकार्डिंग या सजीव प्रसारण को रूकवाना चाहते हैं, और यदि इसे जारी रखने के लिए अधिपत्र न हो तो बीएसपी को ऐसा ही करना होगा।

(ग) यदि बिना अनुमति के फिल्मांकन या रिकार्डिंग करने का आज्ञा-पत्र न हो तो संस्थाओं, संगठनों और अन्य एजेंसियों में फिल्मांकन या रिकार्डिंग करने के लिए प्रासंगिक प्राधिकरण या प्रबंधन से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। कर्मचारियों, कभी-कभार आने वाले लोगों अथवा जनता के गुमनाम सदस्यों की व्यक्तिगत सहमति की सामान्यत: आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) तथापि, एम्बूलेंस, अस्पतालों, स्कूलों, कारागारों या थानों जैसे अत्यधिक संवेदनशील स्थलों के फिल्मांकन या रिकार्डिंग तथा संवेदनशील परिस्थितियों में उनके प्रसारण के लिए सामान्यत: पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए (यदि सहमति प्राप्त न करने के लिए आज्ञा-पत्र न हो)। यदि कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं की जा सकती हो तो प्रसारण के लिए अलग सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14.5 प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या मानवीय हिंसा के प्रभाव वाली किसी भी रिपोर्ट में मानवीय पीड़ा या दुख के दृश्य प्राय: अभिन्न भाग होते हैं, तथा ये अप्रत्यक्ष रिपोर्टिंग की अपेक्षा वास्तविकता के लिए उपयुक्त विषय होते हैं। परंतु ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करने से पहले प्रसारणकर्ताओं को सच्चाई प्रस्तुत करने की इच्छा तथा सनसनी के जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति एवं निजता के बिना आज्ञा-पत्र के अतिक्रमण की संभावनाओं के बीच आवश्यक रूप से संतुलन कर लेना चाहिए। विशेष रूप से, प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं, मानवीय हिंसा और मृत्यु की रिपोर्टिंग करते समय दुखी संबंधियों या घायलों की भावनाओं और संवेदनाओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए तथा यदि सहमति प्राप्त न की गई हो तो साक्षात्कार लेने से बचा जाना चाहिए।

14.6 सामग्री प्राप्त करने तथा विशेष तौर पर समाचार आधारित/संबंधित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु प्राप्त करने का अर्थ सभी परिस्थितियों में समानुपात रूप में होना चाहिए।

14.7 बीएसपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री के पुन: प्रयोग, अर्थात एक उद्देश्य के लिए मूल रूप में फिल्माई गई या रिकार्ड की गई सामग्री का ऐसे ही कार्यक्रम में दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग करना या भिन्न कार्यक्रम में बाद में प्रयोग करना, से निजता का बिना अधिपत्र के अतिक्रमण न हो। यह बात अन्य लोगों से प्राप्त की गई तथा बीएसपी की खुद की सामग्री दोनों पर ही लागू होती है।

14.8 समाचार/समाचार आधारित कार्यक्रमों के लिए डोर-स्टेपिंग तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि साक्षात्कार के अनुरोध को ठुकरा न दिया गया हो या साक्षात्कार के लिए अनुरोध करना संभव न हो या फिर इस बात का ठोस कारण हो कि यदि विषय को खुले में फिल्माया गया/रिकार्ड किया तो छान-बीन में परेशानी आ सकती है तथा डोर-स्टेपिंग के लिए आज्ञा-पत्र हो।

डोर-स्टेपिंग का अर्थ बिना किसी पूर्व चेतावनी के किसी व्यक्ति के साक्षात्कार या कथित साक्षात्कार को फिल्माना या रिकार्ड करना या यह घोषणा करना कि की जा रही काल को प्रसारण के उद्देश्यार्थ फिल्माया जा रहा है या रिकार्ड किया जा रहा है। इसमें, हालांकि लोकनिर्णय (जनता के बेतरतीब सदस्यों के विचारों के नमूने) शामिल नहीं होते हैं।

14.9 बीएसपी, स्वयं तथा अन्य पार्टियों के बीच हुई टेलीफोन कॉल को रिकार्ड कर सकता है यदि कॉल के प्रारंभ में ही वे अपनी पहचान बताते हैं, कॉल के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं तथा यह भी घोषित करते हैं कि कॉल को संभावित प्रसारण के लिए

रिकार्ड किया जा रहा है, (यदि मामला ऐसा हो) जब तक कि ऐसी एक या अधिक प्रक्रिया न करने के लिए अधिपत्र न हो। यदि बाद में किसी स्तर पर यह स्पष्ट हो जाए कि इस रिकार्डिंग का प्रसारण किया जाएगा (परंतु कॉल के समय संबंधित अन्य पार्टी को यह नहीं बताया गया था) तो बीएसपी को इसके प्रसारण से पूर्व अन्य पार्टी से सहमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, यदि इस प्रकार का प्रसारण न करने के लिए आज्ञा-पत्र न हो।

14.10 बीएसपी को ऐसे संकेत न प्रदान करने में विशेष एहतियात बरतना चाहिए जिनसे उन लोगों की पहचान हो सकती है जो आपराधिक, सिविल या पारिवारिक न्यायिक प्रक्रियाओं अथवा यौन अपराधों के मामलों में शिकार रहे हैं, गवाह रहे हैं, प्रतिवादी रहे हैं या अन्य प्रकार से इनको संचालित करने वाले रहे हैं।

14.11

(क) बीएसपी को नाबालिगों की निजता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उनके माता-पिता की प्रसिद्धि या बदनामी अथवा उनके स्कूलों में होने वाली घटनाओं की वजह से उनकी निजता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए।

यदि किसी कार्यक्रम में नाबालिग को इस प्रकार से दिखाया गया है कि उसकी निजता का हनन हो रहा हो, तो इसके लिए निम्न से सहमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए :

(i) माता-पिता, या कानूनी तौर पर संरक्षक; और
(ii) जहां संभव हो, संबंधित नाबालिग से।

जब तक कि विषय-वस्तु हल्की-फुल्की या अविवादित न हो अथवा बिना सहमति के ऐसा करने के लिए अधिपत्र दिया गया हो।

(ख) यदि बिना सहमति के ऐसा करने के लिए अधिपत्र न हो तो नाबालिगों से माता-पिता या कानूनी संरक्षक की सहमति के बिना निजी मामलों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए।

(ग) बीएसपी को ऐसे संकेत न प्रदान करने में विशेष एहतियात बरतना चाहिए जिनसे उन लोगों की पहचान हो सकती हो जो अभी वयस्क नहीं हैं और जो आपराधिक, सिविल या पारिवारिक न्यायिक प्रक्रियाओं अथवा यौन संबंधी मामलों में शिकार, गवाह, प्रतिवादी

या अन्य किसी प्रकार से इनको संचालित करने में शामिल रहे हैं या शामिल हो सकते हैं।

(घ) किसी अपराध में ट्रायल-पूर्व छानबीन को कवर करते समय, बीएसपी को किसी के नाम, पता, स्कूल या अन्य शैक्षिक संस्थान की पहचान, कार्यस्थल या नाबालिग की कोई स्थिर या चलित तस्वीर का प्रसारण करने से पूर्व उसकी संभावित तौर पर असुरक्षित स्थिति का आवश्य ध्यान रखना चाहिए जो अभी वयस्क नहीं है तथा जो गवाह या शिकार के तौर पर शामिल रहा है। किसी उस व्यक्ति की पहचान, जो अभी वयस्क नहीं है तथा जो बचावकर्ता के रूप में बचाव करने या संभावित बचावकर्ता के तौर पर शामिल रहा है, को ऐसे कार्यक्रमों में प्रसारित करने के लिए विशेष स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा।

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरण :

1. कोई भी विज्ञापन सामग्री समाचार के तौर पर प्रस्तुत नहीं की जाएगी या किसी समाचार कार्यक्रम अथवा समाचार फिल्म में शामिल नहीं की जाएगी।

2. बच्चों द्वारा देखे जाने तथा पारिवारिक माहौल के लिए अनुपयुक्त अत्यधिक हिंसा, नग्नता, अश्लीलता एवं अशिष्टता को दिखाने वाले किसी फुटेज/क्लिपिंग/दृश्य से बचा जाना चाहिए।

3. अभिनय करके तैयार किए गए समाचारों (उदाहरण के लिए नाटक या डाक्यूमेन्ट्रीज में) का प्रसारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि दर्शकों के भ्रमित होने या यह विश्वास करने की कोई तार्किक संभावना न हो कि वे वास्तविक समाचारों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं।

4. हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं अथवा दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय उनके संबंधियों और दर्शकों की भावनाओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए एवं मृत लोगों या गंभीर रूप से घायलों या वीभत्स एवं जमा खून के दृश्यों को, जिससे काफी संख्या में दर्शकों को अत्यधिक दुख या अपराधबोध महसूस होता हो, प्रसारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दुखी संबंधियों या घायलों की भावनाओं एवं संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाना चाहिए।

5. मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनको तब तक नहीं दिखाया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना जरूरी न हो। आपदाओं/दंगों इत्यादि के मामलों में गहरे घावों और चेहरों या नजदीक के दृश्यों को नहीं दिखाया जाना चाहिए।

6. प्रसारणकर्ता द्वारा अत्यधिक हिंसा या यौन संबंधों में जोर-जबरदस्ती या यौन अपराधों से संबंधित न्यायालयी कार्रवाई जैसी नाजुक विषय-वस्तु की ग्राफिक रिपोर्टिंग को, विशेषकर उस समय समाचारों एवं अद्यतन स्थिति को प्रस्तुत करते समय जब बच्चे देख रहे हो, दिखाते समय दर्शकों को अग्रिम तौर पर सलाह दी जानी चाहिए। हिंसक घटनाओं, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रसारण के संबंध में सामग्री का चयन करते समय विषय-वस्तु लेखा परीक्षक द्वारा जांच करने के अतिरिक्त इस पर वरिष्ठ संपादकीय नियंत्रण होना चाहिए।

7. ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे हिंसा, अव्यवस्था अथवा घृणा भड़क सकती हो। मानवीय त्रासदी या अत्यधिक हिंसा अथवा श्रव्य सामग्री का प्रसारण करते समय दिखाए जाने वाली तस्वीरों को संभावित ठेस पहुंचाने वाली निराधार भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मौखिक और दृश्य चेतावनी दोनों ही प्रसारण से पूर्व जारी की जानी चाहिए।

8. यदि आज्ञा-पत्र न हो तो, ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति के घर या परिवार की स्थिति की जानकारी मिलती हो, का रहस्योद्घाटन बिना अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए।

9. नाबालिगों के मामले में, बलात्कार और यौन अपराधों के शिकार लोगों की पहचान छिपाने के लिए अत्यधिक एहतियात बरतना चाहिए।

10. श्रव्य-दृश्य फाइल (पुरानी) के बार-बार प्रसारण, जिससे वास्तविकता की गलत तस्वीर उभरती हो, से बचा जाना चाहिए।